भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4620

उत्तर देने की तारीख 22.07.2019

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सुविधाएं

4620. श्री चन्द्रेश्वर प्रसादः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित विभिन्न राज्यों में अवसंरचना संबंधी सुविधाओं जैसे कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जल आपूर्ति और आवास सुविधाओं के विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यक्रमों के लिए निधि आबंटित और मंजूर की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) और (ख): अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) / जनजातीय उप-योजना (टीएसपी), बिहार सहित देशभर में जनजातीय विकास के लिए निधि का एक समर्पित स्रोत है | 40 केन्द्रीय मंत्रालयों को, जनजातीय विकास के लिए प्रत्येक वर्ष उनके कुल स्कीम आवंटन में से 4.3% से 17.5% तक जनजातीय उप-योजना के लिए निर्धारित करने के लिए अधिदेशित किया गया है | देश में जनजातीय बहुल क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की इन स्कीमों / कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है | ये स्कीमें ग्रामीण विकास, आवास, पेयजल एवं स्वच्छता, पोषण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं |

(ग) तथा (घ): केन्द्रीय बजट 2019-20 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है और यह **www.indiabudget.gov.in.** पर देखा जा सकता है |